इसे वेबसाईट mpmsme.gov.in

से भी डाउनलोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2014

मध्यप्रदेश शासन

वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
मंत्रालय, भोपाल

/ /आदेश/ /

भोपाल, दिनांक : 16.08.2016

क्रमांक एफ 05-03/2016/अ-तेहत्तरः राज्य शासन एतद् द्वारा नवगठित, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग के पृथक नीति, नियम, आदेश एवं निर्देश जारी होने तक, संलग्न परिशिष्ट अनुसार वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा जारी नीति, नियम, आदेश एवं निर्देश समस्त सुसंगत नियमों आदि सहित यथा आवश्यक यथा स्थान के नाम के उल्लेख सहित विभाग (सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम) द्वारा अंगीकृत किये जाते है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार।

मध्यप्रदेश राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
-सही-
(अजय सिंह गंगवार)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

पृ.क्रमांक एफ 05-03/2016/अ-तेहत्तर भोपाल, दिनांक 16.08.2016

प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग, मंत्रालय।
2. उद्योग आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. भोपाल।
5. नियंत्रक शासन, मुद्रण एवं लेखन सामग्री म.प्र., भोपाल को राजपत्र में प्रकाशनार्थ।
6. निज सहायक, मान. मंत्रीजी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग की ओर सूचनार्थ।

-सही-
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

परिशिष्ट

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग द्वारा अंगीकृत नीति, नियम, आदेश एवं निर्देशों की सूची

1. उद्योग संवर्धन नीति 2010, यथा संशोधित 2012 व 2014 तथा उनसे संबंधित समस्त आदेश व निर्देश
2. म. प्र. औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम 2015 से संबंधित समस्त आदेश व निर्देश (म. प्र. औद्योगिक भूमि एवं औद्योगिक भवन प्रबंधन नियम 2015 का अंगीकरण विभागीय आदेश क्रमांक एफ 05-03/2016/अ-तेहत्तर, दिनांक 04.06.2016 से किया जा चुका है)।
3. अन्य

क्र.	विषय	वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा जारी आदेश/निर्देशों का क्रमांक तथा दिनांक
1	जिलों का वर्गीकरण	एफ-20-14/05/बी-ग्यारह, दिनांक 09.06.2005
2	उद्योग विहीन विकासखण्ड	एफ-20-14/05/बी-ग्यारह, दिनांक 29.08.2011
3	जिला स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति की नोडल ऐजेन्सी	एफ-20-32/08/बी-ग्यारह, दिनांक 13.12.2011
4	जिला स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति का गठन	एफ-20-32/08/बी-ग्यारह, दिनांक 11.02.2009
5	जिला स्तरीय निवेश संवर्धन साधिकार समिति की वित्तीय सीमा	एफ-20-32/08/बी-ग्यारह, दिनांक 27.07.2009
6	औद्योगिक क्षेत्रों की अधिसूचना (मुख्य)	एफ-11-90/10/बी-ग्यारह, दिनांक 17.01.2012
7	लेमा गार्डन, जबलपुर की अधिसूचना	एफ-11-99/07/बी-ग्यारह, दिनांक 29.03.2012
8	औद्योगिक क्षेत्र, सांवेर रोड, इंदौर के विस्तार की अधिसूचना	एफ-11-5/13/बी-ग्यारह, दिनांक 04.10.2013

क्र.	विषय	वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा जारी आदेश/निर्देशों का क्रमांक तथा दिनांक
9	औद्योगिक संस्थान, राउ, इंदौर के विस्तार की अधिसूचना	एफ-11-107/13/बी-ग्यारह, दिनांक 04.10.2013
10	विभिन्न स्वरोजगार योजनाओं का युक्तियुक्तकरण	एफ-2-6/14/अ-ग्यारह, दिनांक 21.07.2014
11	स्वरोजगार योजनाओं के युक्तियुक्तकरण के अंतर्गत योजनाओं की मार्गदर्शिका	आर-1514/14/अ-ग्यारह, दिनांक 30.07.2014
12	पॉवरलूम उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर विद्युत प्रदाय	एफ-9-1/08/बी-ग्यारह, दिनांक 29.08.2011
14	लोक सेवा क्र. 20.2 परियोजना प्रतिवेदन व्यय की प्रतिपूर्ति के संबंध में	एफ-20-18/10/बी-ग्यारह, दिनांक 19.02.2014
15	लोक सेवा क्र. 20.3 टर्म लोन पर ब्याज अनुदान के संबंध में	एफ-20-18/10/बी-ग्यारह, दिनांक 19.02.2014
16	एमएसएमई को म. प्र. लउनि के माध्यम से कोल वितरण प्रक्रिया	एफ-13-3/05/अ-ग्यारह, दिनांक 04.07.2008
17	म. प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015	एफ-6-14/12/अ-ग्यारह, दिनांक 28.07.2015
18	म. प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 का स्पष्टीकरण	एफ-6-14/12/अ-ग्यारह, दिनांक 07.01.2016
19	म. प्र. भण्डार क्रय तथा सेवा उपार्जन नियम 2015 की प्रक्रिया	एफ-6-14/12/अ-ग्यारह, दिनांक 10.09.2016
20	म. प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिटिलेशन काउन्सिल नियम 2006	एफ-6-12/98/अ-ग्यारह, दिनांक 10.01.2007
21	म. प्र. सूक्ष्म और लघु उद्यम फेसिटिलेशन काउन्सिल का गठन	एफ-6-12/98/अ-ग्यारह, दिनांक 10.01.2007
22	महिला उद्यमी की परिभाषा	एफ-20-20/05/बी-ग्यारह, दिनांक 24.07.2009

क्र.	विषय	वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा जारी आदेश/निर्देशों का क्रमांक तथा दिनांक
23	म. प्र. राज्य उद्योग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1985	एफ-1(ए)-67-75/सी-ग्यारह, दिनांक 15.02.1985
24	म. प्र. राज्य उद्योग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1985 में संशोधन	एफ-1(ए)-67-75/सी-ग्यारह, दिनांक 04.07.1989
25	म. प्र. राज्य उद्योग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1985 में संशोधन	एफ-1(1)14-2012/सी-ग्यारह, दिनांक 28.08.2015
26	म. प्र. राज्य उद्योग (तृतीय श्रेणी कार्यपालिक) सेवा भर्ती नियम 1985	एफ-(ए)-25-83/सी-ग्यारह, दिनांक 28.09.1985
27	गोपनीय प्रतिवेदन हेतु निर्धारित चैनल	एफ-1(1)28-2009/सी-ग्यारह, दिनांक 20.10.2011

वित्त विभाग का समयमान आदेश

क्र.	विषय	आदेशनिर्दे/श क्रमांक
1	समयमान वेतन का परिशिष्ट-2	एफ 11/1/2008/नियम/चार, दिनांक 24 जनवरी, 2008

-सही-

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय

//आदेश//

भोपाल, दिनांक 01/07/2015

क्रमांक एफ 16–11/2014/बी–ग्यारह : राज्य शासन द्वारा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत उपलब्ध सुविधाओं का लाभ प्रदान करने हेतु "मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना, 2014" जारी की जाती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मोहम्मद सुलेमान)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

पृ.क्रमांक एफ 16–11/2014/बी–ग्यारह, भोपाल, दिनांक /07/2015
प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, भोपाल,
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, समस्त विभाग,
3. उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
4. प्रबंध संचालक, म.प्र. ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि., भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग
मंत्रालय

मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2014

1. **प्रस्तावना :-**

राज्य शासन द्वारा उद्योग संवर्धन नीति, 2014 दिनांक 1 अक्टूबर, 2014 से लागू की गई है। उक्त नीति में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों हेतु प्रावधान किए गए हैं। राज्य शासन सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों को उद्योग संवर्धन नीति 2014 में उल्लेखित सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014" लागू करता है।

2. **योजना के प्रभावशील होने की अवधि एवं कार्यक्षेत्र :-**

2.1 यह योजना दिनांक 01.10.2014 से प्रभावशील होगी और शासन द्वारा संशोधित या अधिक्रमित किये जाने तक सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में प्रभावी रहेगी।

2.2 ऐसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यम जिनके लिए उद्योग संवर्धन नीति 2010 या पूर्व नीतियों के तहत प्रोत्साहन का कोई पैकेज पहले स्वीकृत किया गया है, या जिसका वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 01.10.2014 के पूर्व का है, उन्हें इस योजना का लाभ उठाने की पात्रता नही होगी, लेकिन उन्हें उद्योग संवर्धन नीति 2010 या पूर्व नीतियों के तहत जैसी भी स्थिति हो, सुविधाओं हेतु पात्रता होगी।

2.3 दिनांक 01.10.2014 को या इसके पश्चात किन्तु उद्योग संवर्धन नीति 2010 की समापन तिथि से एक वर्ष के अन्दर अर्थात दिनांक 31.10.2016 तक वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने वाली सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों को उद्योग संवर्धन नीति 2014 या उद्योग संवर्धन नीति 2010 के तहत प्रोत्साहनों का पैकेज चुनने की स्वतंत्रता होगी तथापि एक बार विकल्प चुनने के बाद इसे बदला नहीं जा सकेगा। परंतु दिनांक 01.10.2014 को या इसके पश्चात वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने वाली टेक्सटाईल इकाईयों को वैट एवं सीएसटी प्रतिपूर्ति की सुविधा का लाभ लेने हेतु प्रोत्साहनों का पैकेज चुनने की स्वतंत्रता

नहीं होगी। उन्हें केवल उद्योग संवर्धन नीति 2014 के तहत सहायता/सुविधाए पाने की पात्रता होगी।

2.4 पूर्व प्रचलित उद्योग संवर्धन नीति(यों) एवं टैक्सटाईल उद्योगों के लिए विशेष पैकेज अंतर्गत सुविधा/सहायता का लाभ प्राप्त करने हेतु गठित विभिन्न समितियों को समाप्त करते हुए, पूर्व की नीति(यों) एवं उक्त विशेष पैकेज अंतर्गत प्राप्त/स्वीकृत प्रकरणों का निराकरण "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2014" में निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाएगा।

3. परिभाषायें :-

3.1 ‘‘विभाग‘‘ से तात्पर्य है मध्य प्रदेश शासन का वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग।

3.2 ‘‘सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यम/औद्योगिक इकाई‘‘ से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश राज्य की सीमा में स्थापित ऐसी औद्योगिक इकाई जिसकी स्थापना हेतु राज्य शासन से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 अंतर्गत विनिर्माण (manufacturing) उद्यम हेतु ई. एम. पार्ट - 2 जमा कर अभिस्वीकृति पत्र प्राप्त किया गया हो एवं

क्र.	इकाई का प्रकार	विवरण
1	सूक्ष्म स्तर की औद्योगिक इकाई	संयंत्र एवं मशीनरी में 25 लाख रूपये से कम का निवेश करने वाले विनिर्माण उद्यम
2	लघु स्तर की औद्योगिक इकाई	संयंत्र एवं मशीनरी में 25 लाख रूपये और 5 करोड़ रूपये के बीच का निवेश करने वाले विनिर्माण उद्यम
3	मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाई	संयंत्र एवं मशीनरी में 5 करोड़ रूपये और 10 करोड़ रूपये के बीच का निवेश करने वाले विनिर्माण उद्यम

3.3 (अ) ‘‘नई औद्योगिक इकाई‘‘ से अभिप्रेत है, ऐसी इकाई जो मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में स्थापित हो एवं जिसमें दिनांक 01.10.2014 को अथवा उसके पश्चात् वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ हो।

(ब) ''विद्यमान औद्योगिक इकाई'' से आशय ऐसी इकाई से है, जिसमें दिनांक 01.10.2014 के पूर्व वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हुआ हो या ऐसी नई औद्योगिक इकाई जिसके द्वारा इस योजना के शासन द्वारा संशोधित या अधिक्रमित किये जाने तक विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन किया गया हों।

3.4 "नई/विद्यमान औद्योगिक इकाई द्वारा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन" से तात्पर्य होगा, इकाई द्वारा पूर्व में संयंत्र एवं मशीनरी में किये गए पूंजी निवेश के 50 प्रतिशत, जो रू. 25.00 लाख से कम नहीं हो, का पूंजी निवेश कर किया गया विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन, परंतु इस प्रकार किये गये विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन से इकाई द्वारा अपनी पूर्व स्थापित क्षमता से अतिरिक्त क्षमता का वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर दिया गया हो।

3.5 "पूर्व में किये गये संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश'' से तात्पर्य औद्योगिक इकाई द्वारा, जिस वर्ष में विस्तार/डायवर्सीफिकेशन/तकनीकी उन्नयन, के लिए नवीन पूंजी निवेश करना प्रारम्भ किया गया हो, उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि की स्थिति में किया गया संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश अथवा औद्योगिक इकाई में मूल वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि की स्थिति में किया गया संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश जो भी अधिक हो, से होगा।''

3.6 "पूर्व स्थापित क्षमता" से तात्पर्य औद्योगिक इकाई द्वारा, जिस वर्ष में विस्तार/डायवर्सीफिकेशन/तकनीकी उन्नयन, के लिए नवीन पूंजी निवेश करना प्रारम्भ किया गया हो, उस वर्ष के ठीक पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षो के वार्षिक उत्पादन का औसत या इकाई की मूल वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक के समय स्थापित क्षमता, इसमें से जो भी अधिक हो, से है।

3.7 "स्थायी पूंजी निवेश" से अभिप्रेत है संयंत्र एवं मशीनरी में किया गया पूंजी निवेश।

3.8 "संयंत्र एवं मशीनरी में पूंजी निवेश" से तात्पर्य इकाई के संयंत्र एवं मशीनरी, भवन और शेड में किया गया निवेश, किन्तु इसमें भूमि और रिहायशी इकाईयां (Dwelling Units) शामिल नही होगी।

3.9 "मूल्य संवर्धन कर (VAT)" से तात्पर्य मध्यप्रदेश मूल्य संवर्धन कर अधिनियम, 2002 के सेक्शन 2 अंतर्गत परिभाषित मूल्य संवर्धन कर से है।

3.10 ‘केन्द्रीय विक्रय कर“ से तात्पर्य केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 की प्रस्तावना में उल्लेखित विक्रय कर से है।

3.11 ‘प्रवेश कर“ से तात्पर्य मध्यप्रदेश प्रवेश कर अधिनियम, 1976 के सेक्शन 2 अंतर्गत परिभाषित प्रवेश कर से है।

3.12 ‘विद्युत शुल्क“ से तात्पर्य म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी के ग्रिड से प्रदाय विद्युत की खपत पर लगने वाले शुल्क से है।

3.13 ‘मण्डी शुल्क“ से तात्पर्य म. प्र. राज्य की कृषि उपज मण्डी को अधिसूचित कृषि उपजों के क्रय हेतु चुकाए गए शुल्क से है।

3.14 ‘पूंजी अनुदान“ से तात्पर्य इकाई स्थापना हेतु किए गए स्थायी पूंजी निवेश पर दिए गए अनुदान से है।

3.15 ‘ब्याज अनुदान“ से तात्पर्य इकाई स्थापना हेतु वित्तीय संस्था द्वारा प्रदत्त टर्म लोन पर देय ब्याज पर दिए गए अनुदान से है।

3.16 "टेक्सटाईल परियोजना" से अभिप्रेत निम्नलिखित औद्योगिक इकाईयों से है :-

1. कॉटन जीनिंग एवं प्रेसिंग
2. सिल्क रीलिंग एवं ट्वीस्टिंग
3. वूल स्कोरिंग, कॉम्बिंग एवं कालीन उद्योग
4. सिंथेटिक फिलामेंट यार्न टेक्सचराइजिंग, क्रिम्पिंग एवं ट्वीस्टिंग
5. स्पिनिंग
6. विस्कोज स्टेपल फाइबर (व्ही.एस.एफ.) एवं विस्कोज फिलॉमेंट यार्न (व्ही.एफ.वाय.)
7. व्हीविंग, निटिंग एवं फेब्रिक कसीदाकारी
8. टेक्नीकल टेक्सटाईल नॉन वूवेन सहित
9. गारमेंट/डिजाईन स्टूडियों/मेड-अप विनिर्माण
10. फाइबर, यार्न, फेब्रिक, गारमेंट एवं मेड-अप का प्रसंस्करण
11. जूट उद्योग

3.17 ''TUFS'' से अभिप्रेत है :-

वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार के संकल्प क्रमांक 6/4/2007-सी 71, नई दिल्ली नवम्बर, 2007 (समय समय पर हुए संशोधन सहित) में वर्णित TUFS (Technology Upgradation Fund Scheme)।

3.18 ''वित्तीय संस्था'' से अभिप्रेत है:-

सहकारी केन्द्रीय बैंक, मध्यप्रदेश वित्त निगम, शेड्यूल्ड बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक या अन्य वित्तीय संस्था जो राज्य शासन द्वारा इस योजना के अंतर्गत ब्याज अनुदान हेतु मान्य की जावे।

3.19 ''टर्मलोन'' से अभिप्रेत है :-

स्थिर आस्तियों (Fixed Assets) के लिये वित्तीय संस्था/बैंक से प्राप्त किया गया ऋण।

3.20 ''उत्पादन दिनांक'' से तात्पर्य इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ कर उत्पादित माल के प्रथम बार विक्रय की दिनांक अर्थात प्रथम विक्रय देयक की दिनांक से है।

3.21 ''प्राथमिकता विकास खण्ड'' से अभिप्रेत है :-

राज्य शासन द्वारा दिनांक 01.10.2014 की स्थिति में अधिसूचित ऐसा विकासखण्ड, जहां कोई वृहद/मेगा स्तर की औद्योगिक इकाई नहीं है।

3.22 ''निवेशक'' से अभिप्रेत है :-

ऐसा व्यक्ति/भागीदार/संस्था/कंपनी जिसके द्वारा मध्यप्रदेश में औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु निवेश कर उसमें वाणिज्यिक उत्पादन, दिनांक 01.10.2014 या उसके पश्चात प्रारंभ कर दिया गया हो/प्रस्तावित हो अथवा मध्यप्रदेश में अपेरल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का कार्य दिनांक 01.10.2014 को या उसके पश्चात प्रारंभ किया गया हो/प्रस्तावित हो।

3.23 ''उद्योग आयुक्त'' से अभिप्रेत है

मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोज़गार विभाग के अधीन 'म.प्र., उद्योग संचालनालय' के आयुक्त से है।

3.24 "परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी" से अभिप्रेत है :-

मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोज़गार विभाग के अधीन "परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय" के अपर/संयुक्त संचालक उद्योग से है।

3.25 "महाप्रबंधक" से अभिप्रेत है :-

मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोज़गार विभाग के अधीन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक से है।

3.26 "जिला स्तरीय सहायता समिति" से अभिप्रेत निम्नानुसार गठित समिति से है :-

i.	कलेक्टर	अध्यक्ष
ii.	अपर/संयुक्त संचालक, परिक्षेत्रीय उद्योग कार्यालय	उपाध्यक्ष
iii.	अग्रणी जिला प्रबंधक (LDM)	सदस्य
iv	उपायुक्त, वाणिज्यिक कर अथवा उनके प्रतिनिधि जो वाणिज्यिक कर अधिकारी के स्तर से कम न हो (केवल प्रवेश कर छूट व वैट और सीएसटी सहायता से संबंधित प्रकरणों में)	सदस्य
v.	महाप्रबन्धक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	सदस्य-सचिव

टीप :- समिति की बैठक का कोरम 3 का होगा। परंतु प्रवेश कर व वैट और सीएसटी सहायता से संबंधित प्रकरणों में बिंदु iv में उल्लेखित सदस्य की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

4. स्पष्टीकरण :-

4.1 इस नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन/रियायत संबंधी वित्तीय सहायता केवल विनिर्माण क्षेत्र के लिए लागू है।

4.2 यदि मध्यप्रदेश शासन की एक से अधिक ऐसी नीतियाँ एक ही प्रकार का प्रोत्साहन/रियायत प्रदान करती हों तो निवेशक केवल एक ही नीति के अंतर्गत प्रोत्साहन/रियायत प्राप्त करने हेतु पात्र होगा ।

4.3 यदि कोई विनिर्माण इकाई इस नीति के अंतर्गत पात्रता के अतिरिक्त भारत सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त करना चाहती है तो वह इस शर्त के साथ ऐसा कर सकेगी कि वह उनके द्वारा संयंत्र एवं मशीनरी में किये गये पूंजी निवेश से ज्यादा अनुदान प्राप्त न कर सके।

4.4 कोई भी एमएसएमई जिसने 'मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना' या 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना' अंतर्गत सुविधाएं प्राप्त की हो, वह इस पैकेज के अंतर्गत समान प्रकार की सुविधाएं प्राप्त करने हेतु पात्र नहीं होगी।

4.5 विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन करने वाली इकाइयों को नवीन औद्योगिक इकाईयों के समान सुविधाओं/सहायता की पात्रता होगी एवं पात्रता का निर्धारण इकाई द्वारा उसकी वाणिज्यिक उत्पादन की तिथि से सूक्ष्म व लघु उद्योगों की स्थिति में पिछले 1 वर्ष तथा मध्यम उद्योगों की स्थिति में पिछले 2 वर्षों के दौरान संयंत्र और मशीनरी में किए गए निवेश से किया जाएगा।

4.6 इस नीति में उल्लेखित समय-सीमा में जिला स्तरीय सहायता समिति समुचित कारणों से आवेदन प्रस्तुत करने में किये गये विलम्ब को शिथिल कर सकेंगी।

4.7 म.प्र. शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के आदेश क्र. एफ-16-11/2014-बी-ग्यारह, दिनांक 01.10.2014 से जारी उद्योग संवर्धन नीति 2014 के परिशिष्ट-IV में शामिल उद्योग इस योजना अंतर्गत सुविधा/सहायता हेतु अपात्र होंगे। (परिशिष्ट-1)

5. जिला स्तरीय सहायता समिति का दायित्व

5.1 जिला स्तरीय सहायता समिति का यह दायित्व होगा कि वह सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यम का व्यावसायिक उत्पादन प्रारंभ होने के उपरान्त सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यम को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 के अंतर्गत प्रावधानित प्रोत्साहन का वितरण सुनिश्चित करे। इस नीति अंतर्गत भूमि के अधोसंरचना विकास हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति तथा हरित औद्योगिकरण हेतु प्रावधानित सहायता को छोडकर शेष सभी प्रोत्साहन सहायता की प्रथम बार स्वीकृति जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा जारी की जायेगी।

5.2 समिति की बैठक माह में कम से कम एक बार होगी। समिति ध्यान में लाये जाने पर या स्वतः संज्ञान लेकर अपने निर्णय का पुनरावलोकन कर सकेगी, किन्तु इस प्रकार लिये गये निर्णय की सूचना 30 दिवस के अन्दर संबंधित इकाई तथा उद्योग आयुक्त, मध्य प्रदेश को प्रेषित किया जाना अनिवार्य होगा।

5.3 मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014 अंतर्गत आवेदन व्यावसायिक उत्पादन दिनांक से 90 दिन के भीतर निवेशक को निर्धारित प्रपत्र (परिशिष्ट- 2) में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को आवेदन प्रस्तुत करना होगा। परिशिष्ट में दर्शाये अनुसार अनुलग्नक इस आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त परिशिष्ट- 3 में शपथ पत्र (निर्धारित शुल्क के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित) भी आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा।

5.4 महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा आवश्यकतानुसार विभागीय अधिकारियों से इकाई का निरीक्षण तथा दी गई जानकारी का यथासंभव सत्यापन कराया जायेगा। महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र समुचित परीक्षण उपरान्त अपना प्रतिवेदन जिला स्तरीय सहायता समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करेगा। इस प्रतिवेदन में अन्य सभी सुसंगत बातों के अलावा निम्न बातों का समावेश आवश्यक होगा :-

(i) निवेशक द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक संयंत्र एवं मशीनरी पर किया गया निवेश (टफ अंतर्गत अनुमोदित संयंत्र एवं मशीनरी पर किया गया निवेश पृथक से, यदि लागू हो तो)

(ii) वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक एवं उत्पादनरत रहने का सत्यापन

(iii) प्रथम कच्चा माल क्रय दिनांक

(iv) औद्योगिक परिसर तक अधोसंरचना विकास पर व्यय।

(v) औद्योगिक इकाई द्वारा लिये गये विद्युत कनेक्शन की जानकारी।

(vi) ब्याज अनुदान के प्रकरण में नियमित किश्त अदायगी की पुष्टि

(vii) अपेरल प्रशिक्षण संस्थान के प्रकरण में स्थापना व्यय

5.5 समुचित विचारोपरान्त जिला स्तरीय सहायता समिति को यह अधिकार होगा कि वे संलग्न परिशिष्ट-4 अनुसार उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत प्रावधानित वित्तीय सहायता स्वीकृति आदेश जारी करे। समिति की स्वीकृति प्राप्त होने पर आदेश समिति के सचिव द्वारा जारी किया जायेगा। इस स्वीकृति आदेश में निम्न बातों का उल्लेख होगा :-

(i) वैट और सीएसटी प्रतिपूर्ति, प्रवेश कर से छूट, विद्युत शुल्क से छूट, मंडी शुल्क से छूट, पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान।

(ii) विभिन्न प्रकार की छूट हेतु अधिकतम सीमा।

(iii) प्रति वर्ष दी जाने वाली सहायता राशि का प्रतिशत, मापदण्ड।

(iv) अपेरल प्रशिक्षण संस्थान के प्रकरण में देय सहायता राशि।

(v) अन्य कोई सहायता जो नीति अंतर्गत देय हो।

6. पूंजी अनुदान :-

6.1 सूक्ष्म एवं लघु स्तर की औद्योगिक इकाईयों को संयंत्र और मशीनरी में किये गये पात्र निवेश का 15 प्रतिशत, अधिकतम 15 लाख रूपयें पूंजी अनुदान दिया जाएगा। परंतु निम्नलिखित क्षेत्रों में स्थापित इकाईयों को इस अनुदान की पात्रता नहीं होगी -

(i) नगर निगम की अधिसूचित सीमा।

(ii) नगर/शहर, जिनकी आबादी 3 लाख या अधिक हो (वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर)।

उक्त कण्डिका (i) एवं (ii) में उल्लिखित क्षेत्रों में राज्य शासन अथवा उसके उपक्रम द्वारा विकसित किये गये औद्यागिक विकास केन्द्र, औद्योगिक क्षेत्रों एवं संस्थानों में स्थापित उद्योगों को योजनांतर्गत अनुदान की पात्रता होगी।

6.2 सूक्ष्म, लघु और मध्यम स्तर की वस्त्र उद्योग इकाइयों को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम (TUFS) में अनुमोदित संयंत्र और मशीनरी में अधिकतम एक करोड़ रुपए तक, पात्र निवेश का दस प्रतिशत निवेश अनुदान दिया जायेगा।

6.3 सूक्ष्म एवं लघु स्तर की वस्त्र उद्योग इकाई को कण्डिका 6.1 या 6.2 में उल्लेखित किसी एक सहायता को चुनने की स्वतंत्रता होगी। परंतु यदि सूक्ष्म एवं लघु स्तर की वस्त्र उद्योग इकाई द्वारा कण्डिका 7.2 अंतर्गत सहायता हेतु आवेदन दिया है/लाभ प्राप्त किया है तो उसे कण्डिका 6.1 में उल्लेखित सहायता का लाभ पाने की पात्रता नहीं होगी।

6.4 सूक्ष्म और लघु स्तर के फार्मास्युटिकल विनिर्माण उद्यमों को नई इकाइयों के समकक्ष निवेश में सहायता मिलेगी यदि ये इकाइयां अतिरिक्त 10 लाख रुपए या विद्यमान निवेश की 50 प्रतिशत राशि संयंत्र और मशीनरी (इनमें से जो अधिक हो) विस्तार/शवलीकरण के लिये निवेश करती हैं।

6.5 वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर इकाई को निवेश अनुदान हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट- 2) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में

शपथ पत्र (परिशिष्ट - 3) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन के साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :-

(i) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत मेमोरेण्डम पार्ट 2 जमा करने पर दी गई अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक

(ii) संयंत्र और मशीनरी में किये गये पात्र निवेश के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/ चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन।

(iii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों)

(iv) वस्त्र इकाई के प्रकरण में -

(अ) टफ्स (TUFS) अंतर्गत मान्य प्लांट एवं मशीनरी में किय गया निवेश संबंधी दस्तावेज (मय सूची के)

(ब) वित्तीय संस्था का ऋण स्वीकृति एवं वितरण सम्बंधी पत्र।

6.6 जिला स्तरीय सहायता समिति के अनुमोदन उपरांत महाप्रबंधक द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा तथा निवेशक को देय सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

7. ब्याज अनुदान -

7.1 पात्र इकाइयों को निम्नानुसार सावधि ऋण (Term Loan) पर ब्याज अनुदान सहायता दी जाएगी :-

इकाई का प्रकार	**ब्याज अनुदान**
सूक्ष्म स्तर की औद्योगिक इकाई	5 प्रतिशत की दर से 3 लाख रुपए की वार्षिक सीमा अंतर्गत 7 वर्ष के लिए
लघु स्तर की औद्योगिक इकाई	5 प्रतिशत की दर से 4 लाख रुपए की वार्षिक सीमा अंतर्गत 7 वर्ष के लिए
मध्यम स्तर की औद्योगिक इकाई	5 प्रतिशत की दर से 5 लाख रुपए की वार्षिक सीमा अंतर्गत 7 वर्ष के लिए

7.2 नवीन टेक्सटाईल इकाई को टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी हेतु लिए गए टर्म लोन पर वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 5 वर्ष के लिए 2 प्रतिशत की दर से अधिकतम रूपये 5 करोड़ की सीमा तक ब्याज अनुदान की सहायता दी जाएगी।

7.3 नवीन टेक्सटाईल इकाई को कण्डिका 7.1 या 7.2 में उल्लेखित किसी एक सहायता को चुनने की स्वतंत्रता होगी। परंतु यदि नवीन टेक्सटाईल इकाई द्वारा कण्डिका 6.2 अंतर्गत सहायता हेतु आवेदन दिया है/लाभ प्राप्त किया है तो उसे कण्डिका 7.1 में उल्लेखित सहायता का लाभ पाने की पात्रता नहीं होगी।

7.4 टर्म लोन प्रदान करनें वाली संस्था द्वारा कण्डिका 7.1 अंतर्गत सहायता हेतु परिशिष्ट-5 तथा कण्डिका 7.2 अंतर्गत सहायता हेतु परिशिष्ट-6 अनुसार प्रपत्र में टर्मलोन पर ब्याज अनुदान प्राप्त करने हेतु क्लेम संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाएगा अथवा इकाई के प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा परिशिष्ट-5/6 अनुसार प्रपत्र में क्लेम टर्म लोन प्रदान करनें वाली संस्था से प्राप्त कर संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत किया जाएगा। क्लेम पत्रक जिस त्रैमास से संबंधित है उस त्रैमास की समाप्ति के 90 दिवस के भीतर संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र को प्रस्तुत करना होगा।

7.5 जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा इकाई द्वारा किए गए स्थायी पूंजी निवेश, पात्रता अवधि व प्रतिशत के संबंध में निर्णय लेकर ब्याज अनुदान सुविधा स्वीकृत करेगी।

7.6 किसी इकाई को जिला स्तरीय सहायता समिति से एक बार सुविधा अनुमोदित होने के बाद महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र इसे संपूर्ण पात्रता अवधि में वितरित करने के लिए सक्षम होगें अर्थात किसी इकाई को एक बार समिति द्वारा सुविधा अनुमोदित होने पर उसके प्रकरण में वित्तीय संस्था से त्रैमासिक क्लेम प्राप्त होने पर उसकी त्रैमासवार स्वीकृति पुनः समिति से प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी। परंतु स्थायी पूंजी निवेश में परिवर्तन होने पर वितरण हेतु समिति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी।

7.7 महाप्रबंधक द्वारा ब्याज अनुदान हेतु परिशिष्ट-7 में स्वीकृति-सह-वितरण आदेश जारी किया जायेगा।

8. परियोजना अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति :-

8.1 यदि निवेशक परियोजना स्थापना हेतु निजी भूमि अधिगृहित करता है या अविकसित शासकीय भूमि प्राप्त करता है तो ऐसी इकाईयों को बिजली, पानी, सड़क अधोसंरचना विकास के लिए प्रत्येक मद हेतु अधिकतम एक करोड़ की सीमा तक अधोसंरचना विकास में हुए व्यय की 50 प्रतिशत तक की सहायता दी जायेगी। सूक्ष्म एवं लघु स्तर की औद्योगिक इकाईया इस सहायता हेतु पात्र नहीं होगी।

8.2 जिस अधोसंरचना के विकास के व्यय हेतु प्रतिपूर्ति चाही गई है, उसका विकास दिनांक 01 अक्टूबर, 2014 के पश्चात हुआ हो एवं इकाई के वाणिज्यिक उत्पादन के दिनांक के बाद का नहीं हो।

8.3 इकाई का वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 01.10.2014 से उद्योग संवर्धन नीति, 2014 के संशोधित या अधिक्रमित किये जाने तक का होना चाहिये।

8.4 इस सुविधा का लाभ उद्योग परिसर तक अधोसंरचना विकसित करने में किये गये वास्तविक व्यय पर किया जावेगा, जिसमें निम्नलिखित व्यय सम्मिलित किये जायेंगे :-

(i) मुख्य मार्ग से उद्योग परिसर तक सडक निर्माण में हुआ व्यय।

(ii) पॉवर स्टेशन/विद्युत केन्द्र से उद्योग परिसर तक विद्युतीकरण में हुआ व्यय।

(iii) जल स्त्रोत/मुख्य पाईप लाईन से उद्योग परिसर तक जल लाने हेतु पाईप लाईन बिछाने में हुआ व्यय ।

उक्त कार्यो पर हुए व्यय का सत्यापन चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन के आधार पर किया जावेगा।

8.5 वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम 90 दिवस के अंदर इकाई को अधोसंरचना व्यय में दिये जाने वाले अनुदान हेतु निर्धारित प्रपत्र में आवेदन संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा। आवेदन संलग्न परिशिष्ट-2 अनुसार होगा और उसके साथ निम्न दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा :-

(i) उद्योग परिसर तक अधोसंरचना विकसित करने में हुए व्यय के प्रमाणीकरण हेतु चार्टर्ड इंजीनियर/ चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र/मूल्यांकन।

(ii) जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत मेमोरेण्डम पार्ट 2 जमा करने पर दी गई अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक

(iii) निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट - 3)।

8.6 महाप्रबंधक द्वारा उपरोक्त आवेदन 30 दिवस में मय अनुशंसा के अपने परिक्षेत्र के परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाएगा। परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी द्वारा 30 दिवस की समयावधि में अनूमोदन के संबंध में समुचित निर्णय लिया जाकर महाप्रबंधक को प्रेषित किया जाएगा। अनुमोदन की स्थिति में महाप्रबंधक द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा तथा निवेशक को देय सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

9. हरित औद्योगीकरण

9.1 उद्योगों को अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों (जैसे ईटीपी, एसटीपी आदि) प्रदूषण नियंत्रित युक्तियों, स्वास्थ्य और सुरक्षा मानकों, जल संरक्षण/दोहन आदि की स्थापना में निवेश के लिए 50 प्रतिशत पूंजी अनुदान अधिकतम 25 लाख रूपये प्रदान किया जाएगा। सूक्ष्म स्तर की औद्योगिक इकाईया इस सहायता हेतु पात्र नहीं होगी।

9.2 यह सुविधा एक से अधिक इकाईयों द्वारा संयुक्त रूप से अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना पर भी देय होगी।

9.3 अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में प्रदूषण नियंत्रण मण्डल/ औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय का प्रमाण-पत्र।

9.4 अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना में हुआ व्यय दिनांक 1 अक्टूबर, 2014 या उसके पश्चात का होना चाहिए।

9.5 इस सहायता हेतु आवेदन करने वाली लघु स्तर की औद्योगिक इकाई द्वारा कण्डिका 6 अंतर्गत सहायता हेतु पात्र होने पर उक्त सहायता प्राप्त करने हेतु निवेश की गणना में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना में हुये व्यय को शामिल नही किया जाएगा अर्थात अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली की स्थापना में हुये

व्यय पर अनुदान कण्डिका 6 व कण्डिका 9 में से किसी एक में ही प्राप्त किया जा सकेगा।

9.6 इकाई द्वारा इस सहायता हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट- 2) में आवेदन संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

9.7 आवेदन के साथ निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट -3) व चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाणपत्र (अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली अंतर्गत मदवार व्यय सत्यापन सहित) भी देना होगा।

9.8 महाप्रबंधक द्वारा उपरोक्त आवेदन 30 दिवस में मय अनुशंसा के अपने परिक्षेत्र के परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जाएगा। परिक्षेत्रीय उद्योग अधिकारी द्वारा 30 दिवस की समयावधि में अनूमोदन के संबंध में समुचित निर्णय लिया जाकर महाप्रबंधक को प्रेषित किया जाएगा। अनुमोदन की स्थिति में महाप्रबंधक द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृति आदेश जारी किया जायेगा तथा निवेशक को देय सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी।

10. प्रवेश कर छूट

10.1 पात्र सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम विनिर्माण उद्यमों को 5 वर्ष तक प्रवेश कर छूट की सहायता दी जाएगी।

10.2 इकाई द्वारा इस सहायता हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट- 2) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट - 3) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया जायेगा।

10.3 जिला स्तरीय सहायता समिति की स्वीकृति उपरांत प्रवेश कर छूट का पात्रता प्रमाण पत्र (परिशिष्ट- 8) सचिव, जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा जारी किया जाएगा जो "मध्यप्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976" की धारा 10 अंतर्गत जारी किया समझा जाएगा।

10.4 प्रवेश कर से छूट प्राप्त करने हेतु इकाई वाणिज्यिक कर विभाग के नियमों के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी होना चाहिए।

10.5 वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा उद्योग संवर्धन नीति के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के लिए वर्ष 2010 में जारी की गई अधिसूचना क्रमांक 96, दिनांक 13

दिसम्बर, 2010 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी के उद्योगों के लिए उपरोक्तानुसार संशोधित मान्य होगी।

11. वैट एवं सीएसटी प्रतिपूर्ति

11.1 रूपये एक करोड़ या उससे अधिक का स्थायी पूंजी निवेश करने वाले पात्र उद्योगों (टेक्सटाईल इकाईयों को छोड़कर) को उनके द्वारा प्लांट एवं मशीनरी में किये गये कुल निवेश की सीमा तक निर्धारित पात्रता अवधि के दौरान जमा किये गये मूल्य संवर्धित कर (वैट) और केन्द्रीय विक्रय कर (जिसमें कच्चेमाल की खरीद पर मूल्य संवर्धित कर की राशि शामिल नहीं है) की राशि पर इनपुट टैक्स रिबेट समायोजित करने के बाद प्रतिपूर्ति की सहायता दी जायेगी, जो कि 50 प्रतिशत के मान से प्राथमिकता विकास खण्ड में स्थापित उद्योगों को 7 वर्षों तथा अन्य विकास खण्ड में स्थापित उद्योगों को 5 वर्षों की अवधि के लिए होगी।

यद्यपि रूपये एक करोड़ या उससे अधिक का स्थायी पूंजी निवेश करने वाली टेक्सटाईल इकाईयों को उसके वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से आठ वर्ष के लिए, टफ अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी में किये गये निवेश की सीमा तक, निम्नानुसार निवेश संवर्धन सहायता प्रदान की जायेगी :-

कॉटन जीनिंग - जीनिंग कॉटन को अन्तर्राज्यीय विक्रय करने पर चुकाये गये सीएसटी के समतुल्य।

या/एवं

स्पिनिंग मिल - कॉटन यार्न को अन्तर्राज्यीय विक्रय करने पर चुकाये गये अभिकलित सकल सीएसटी के समतुल्य।

या/एवं

वस्त्र विनिर्माण इकाई (वस्त्र कर मुक्त उत्पाद है) - विनिर्माण इकाई द्वारा *कच्चा माल क्रय करने पर चुकाये गये वैट के समतुल्य

या/एवं

रेडीमेड गारमेंट/अपेरल इकाई - रेडीमेड गारमेंट/अपेरल विक्रय करने पर चुकाये गये वैट और सीएसटी के समतुल्य।

---

* वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 16-11/2014/बी-ग्यारह, दिनांक 22.08.2016 से प्रतिस्थापित किया गया।

11.2 इकाई द्वारा प्रतिवर्ष भुगतान किये जाने वाले कुल मूल्य संवर्धित कर और केन्द्रीय विक्रय कर की, पात्रता अनुसार 75 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी कर पुष्टि दस्तावेज के आधार पर की जाएगी। शेष 25 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर निर्धारण आदेश के बाद की जाएगी।

11.3 किसी भी स्थिति में सहायता राशि संयंत्र एवं मशीनरी, भवन और शेड में किये गये पूंजी निवेश से अधिक नहीं होगी।

11.4 इसके अतिरिक्त सहायता राशि म. प्र. शासन के पास जमा की गई शुद्ध कर राशि से भी अधिक नहीं होगी।

11.5 सहायता प्राप्त करने हेतु इकाई वाणिज्यिक कर विभाग के नियमों के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी होनी चाहिए।

11.6 निवेश संवर्धन सहायता केवल उत्पादित मुख्य उत्पाद, सह-उत्पाद (Bye-Product) एवं उत्पादन की प्रक्रिया से प्राप्त बर्ज्य-पदार्थ (Waste materials) के परिप्रेक्ष्य में ही दी जाएगी।

11.7 इकाई द्वारा इस सहायता हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट- 2) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट - 3) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया जायेगा।

11.8 महाप्रबंधक द्वारा जिला स्तरीय सहायता समिति की स्वीकृति उपरांत कुल पात्रता अवधि एवं कुल पात्रता राशि की सीमा तक प्रतिवर्ष भुगतान किये जाने वाले कुल मूल्य सवंर्धित कर और केन्द्रीय विक्रय कर की पात्रता अनुसार 75 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी कर पुष्टि दस्तावेज के आधार पर की जाएगी। शेष 25 प्रतिशत राशि की प्रतिपूर्ति वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा कर निर्धारण आदेश पश्चात की जाएगी। पात्रता के अंतिम वर्ष में सम्पूर्ण अवधि के अंतिम कर निर्धारण आदेश के आधार पर प्रतिपूर्ति की जावेगी।

11.9 जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा वित्तीय सहायता स्वीकृति आदेश जारी होने के उपरान्त महाप्रबंधक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार सामयिक (Periodical) सहायता राशि का वितरण किया जायेगा।

12. विद्युत शुल्क में छूट

12.1 मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 4 मार्च, 2014 को प्रकाशित अधिसूचना क्रमांक एफ-3-23-2013-तेरह में निहित प्रावधानों के दृष्टिगत सभी पात्र इकाईयों, जिनके द्वारा दिनांक 04 मार्च, 2014 से दिनांक 03 मार्च, 2019 तक राज्य की विद्युत वितरण कंपनियों से नवीन उच्च दाब संयोजन प्राप्त किए गए हैं/जायेंगे, को कंडिका 12.2 में दर्शायी कालावधि के लिए ग्रिड से प्रदाय की गई विद्युत के लिए उक्त अधिसूचना की शर्तों के अध्याधीन विद्युत शुल्क के संदाय से छूट की सुविधा उपलब्ध होगी।

12.2 नवीन औद्योगिक इकाईयों को 33 केवी कनेक्शन के लिए 5 वर्षों की अवधि तक, 132 केवी कनेक्शन के लिए 7 वर्षों की अवधि तक तथा 220 केवी कनेक्शन के लिए 10 वर्षों की अवधि तक विद्युत शुल्क (डयूटी) में छूट दी जायेगी।

12.3 इकाई द्वारा इस सहायता हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट- 2) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट - 3) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया जायेगा।

13. मण्डी शुल्क से छूट

13.1 ऐसी सभी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों, जिनमें संयंत्र और मशीनरी में निवेश कम से कम 50 लाख रूपये हो, को संयंत्र और मशीनरी में निवेश के अधिकतम 50 प्रतिशत या पांच वर्ष की अवधि (इनमें से जो भी कम हो) के लिए मण्डी शुल्क से छूट दी जाएगी।

13.2 शुल्क से छूट की यह सुविधा उन इकाईयों को ही होगी, जो इस राज्य के कृषि उपजों का क्रय करेंगे।

13.3 मण्डी शुल्क छूट की सुविधा विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन करने वाली इकाईयों पर लागू नहीं होगी।

13.4 इकाई द्वारा इस सहायता हेतु निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट- 2) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट - 3) संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया जायेगा।

13.5 जिला स्तरीय सहायता समिति की स्वीकृति उपरांत मण्डी शुल्क से छूट संबंधी प्रमाण-पत्र सचिव, जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा परिशिष्ट- 9 अनुसार जारी

किया जाएगा, जो मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 अंतर्गत देय मण्डी शुल्क से छूट हेतु मान्य होगा।

14. अपेरल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु सहायता -

14.1 निजी संस्था द्वारा अपेरल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के लिए स्थायी पूंजी निवेश में किए गए व्यय का 25 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा रूपये 25 लाख होगी।

14.2 अपेरल प्रशिक्षण संस्थान म. प्र. शासन से मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

14.3 अपेरल प्रशिक्षण संस्थान में एक बार में 50 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था होनी चाहिए तथा प्रशिक्षण की अवधि तीन माह से कम नहीं होनी चाहिए।

14.4 अनुदान प्राप्त करने हेतु, अपेरल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना के छः माह पश्चात परंतु एक वर्ष के भीतर निम्न दस्तावेजों सहित निर्धारित प्रारूप (परिशिष्ट - 2) में आवेदन तथा निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र (परिशिष्ट - 3) में संबंधित महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत किया जाएगा :-

(i) म. प्र. शासन से मान्यता प्राप्त संबंधी दस्तावेज

(ii) स्थायी पूंजी निवेश के संबंध में चार्टर्ड एकाउण्टेंट/चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाणपत्र (मदवार व्यय सत्यापन सहित)।

(iii) संस्थान द्वारा आवेदन दिनांक के पूर्व के छः माहों में दिए गए प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति

14.5 जिला स्तरीय सहायता समिति की स्वीकृति उपरांत महाप्रबंधक द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार अनुदान राशि वितरित की जाएगी।

15. उद्योग संवर्धन नीति, 2014 के परिशिष्ट - I (विशेष पैकेज 2014) एवं परिशिष्ट - II (पॉलिसी पैकेज 2014) अंतर्गत पात्र औद्योगिक इकाईयों को सुविधाओं की स्वीकृति मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति (HLC) से या परिशिष्ट - III (मध्य प्रदेश स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज रिवाईवल स्कीम, 2014) अंतर्गत पात्र औद्योगिक इकाईयों को सुविधाओं की स्वीकृति जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित अधिकार प्रदत्त समिति (Empowered Committee) से प्राप्त होने के उपरांत उद्योग

संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत देय वित्तीय सहायता/सुविधा का प्रदाय महाप्रबंधक द्वारा किया जाएगा।

16. निवेश प्रोत्साहन राशि/सुविधा प्राप्त करने की सामान्य प्रक्रिया –

16.1 औद्योगिक इकाई को वित्तीय सहायता हेतु निर्धारित आवेदन पत्र समय सीमा में संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्रस्तुत करना होगा।

16.2 निवेशक द्वारा चाही गई सुविधाओं के सम्यक विश्लेषण उपरांत महाप्रबंधक द्वारा प्रकरण जिला स्तरीय सहायता समिति के समक्ष निर्णय लेने हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

16.3 जिला स्तरीय सहायता समिति से स्वीकृति प्राप्त होने पर इस योजनान्तर्गत चाही गई वित्तीय सहायता संबंधी स्वीकृति आदेश महाप्रबंधक द्वारा जारी किये जायेगे। इस स्वीकृति आदेश में उपरोक्त सुविधाओं की दरें, पात्रता अवधि तथा अनुदान-सीमा तीनों का उल्लेख किया जायेगा।

16.4 समिति से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त उद्योग संवर्धन नीति, 2014 अंतर्गत देय वित्तीय सहायता/सुविधा का प्रदाय महाप्रबंधक द्वारा किया जायेगा। महाप्रबंधक ऐसे वितरण करते समय अन्य विभागों से आवश्यकतानुसार उचित परामर्श कर सकेंगे। स्वीकृत सहायता राशि का भुगतान इकाई को बैंकर्स चैक/डिमांड ड्राफट/ई-पैमेंट के माध्यम से इकाई के बैंक खाते में किया जायेगा।

16.5 इकाई के प्रकरण में बैंकर्स चेक/डिमाण्ड ड्राफ्ट/ई-पेमेंट की पावती ही एमएसएमई प्रोत्साहन के रूप में प्राप्त राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र होगा।

16.6 जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा निवेश प्रोत्साहन राशि की स्वीकृति उपरांत बजट में प्रावधान के अभाव में अथवा किसी भी अन्य कारण से चेक/ड्राफ्ट/ई-पेमेंट वितरण में विलम्ब होने पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

16.7 इकाई द्वारा सहायता राशि हेतु आवेदन प्रस्तुत किये जाने के दिनांक को इकाई को उत्पादनरत रहना अनिवार्य होगा एवं इकाई को सहायता अवधि में तथा इसके पश्चात् आगामी 3 वर्षों तक उत्पादनरत रखा जाना अनिवार्य होगा। इस अवधि में इकाई के 6 माह से अधिक अवधि तक बंद होने की स्थिति में इकाई को दी गई संपूर्ण सहायता राशि भू राजस्व की बकाया की तरह इकाई से 12 प्रतिशत दाण्डिक ब्याज सहित वसूल की जावेगी।

16.8 इकाई को जिन प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश के आधार पर सहायता स्वीकृत की जायेगी उन प्लांट एवं मशीनरी को सहायता की अवधि तथा उसके पश्चात् 3 वर्षों तक अच्छी स्थिति में रखना अनिवार्य होगा। इकाई द्वारा स्थापित इकाई के अथवा उसके किसी भाग के अथवा किये गये पूंजी निवेश से निर्मित प्लांट एवं मशीनरी के स्थान में परिवर्तन अथवा कमी नहीं की जाएगी। निर्मित प्लांट एवं

मशीनरी के स्वामित्व में परिवर्तन, सहायता की अवधि एवं उसके पश्चात् 3 वर्षों तक, उद्योग आयुक्त की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना, नहीं किया जाएगा। यदि अनुमति प्राप्त करने पर ऐसा परिवर्तन किया जाता है, तो मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014 के अन्तर्गत पूर्व स्थापित इकाई के समस्त दायित्व एवं अधिकार नवीन/परिवर्तित इकाई पर लागू होंगे।

17. अपील

जिला स्तरीय सहायता समिति/महाप्रबंधक के निर्णय के विरूद्ध प्रथम अपील उद्योग आयुक्त के समक्ष निर्णय प्राप्ति दिनांक से तीन माह के भीतर की जा सकेगी। विलंब से प्राप्त अपील के विलंब दोष को उद्योग आयुक्त गुण-दोष के आधार पर शिथिल कर सकेगे। उद्योग आयुक्त के निर्णय के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के समक्ष निर्णय प्राप्ति दिनांक से एक माह के भीतर की जा सकेगी। विलंब से प्राप्त अपील के विलंब दोष को अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव गुण-दोष के आधार पर शिथिल कर सकेगे।

18. योजना के क्रियान्वयन को सुगम बनाने की दृष्टि से अथवा विसंगति दूर करने एवं योजना के प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए निर्देश एवं मार्गदर्शन उद्योग आयुक्त द्वारा दिया जा सकेगा, जो अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

19. संशोधन/शिथलीकरण/निरसन

योजनांतर्गत प्रावधानों में किसी बात के होते हुए भी मध्यप्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग किसी भी समय -

19.1 इस योजना को संशोधित अथवा निरस्त कर सकेगा,

19.2 इस योजना के प्रावधानों को लागू करने में शिथिलीकरण कर सकेगा,

20. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र मध्यप्रदेश होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

सचिव
म.प्र. शासन
वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग

अपात्र उद्योगों की सूची

स. क्र.	अपात्र उद्योग
1	बियर और शराब (वाइनरी को छोड़कर)
2	स्लॉटर हाउस और मांस पर आधारित उद्योग
3	सभी प्रकारों के पान मसाला और गुटका विनिर्माण
4	तंबाकू और तंबाकू आधारित उत्पादों का विनिर्माण
5	40 माइक्रोन या इससे कम के प्लास्टिक बैग्स का विनिर्माण
6	केंद्र या राज्य सरकार या उनके उपक्रमों द्वारा स्थापित औद्योगिक इकाइयां
7	स्टोन क्रशर
8	खनिजों की पिसाई
9	राज्य सरकार/राज्य सरकार उपक्रमों के अशोधी/चूककर्ता
10	सभी प्रकार की खनन गतिविधियॉ (जहां कोई मूल्य संवर्धन नहीं हुआ हों)
11	व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र की गतिविधियां
12	लकड़ी के कोयले (चारकोल) का विनिर्माण
13	खाद्य तेलों की रिफाइनिंग (स्वतंत्र इकाई) एवं सोयाबीन तेल उत्पादक इकाइयां (रिफाइनरी के साथ)
14	सीमेंट (क्लिंकर सहित) विनिर्माण
15	सभी प्रकार के प्रकाशन एवं मुद्रण प्रक्रियाए (रोटोग्रेवर/फ्लेक्स प्रिंटिग को छोड़कर)
16	सोने एवं चांदी के बुलियन से निर्मित आभूषण एवं अन्य वस्तुए
17	आरा मिल एवं लकड़ी की प्लेनिंग
18	लोहे/स्टील के स्क्रेप को दबाकर इसे ब्लॉक्स एवं अन्य किसी आकार में बदलना
19	राज्य शासन द्वारा समय-समय पर घोषित अन्य कोई उद्योग

परिशिष्ट - 2

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014" अंतर्गत आवेदन का प्रारूप

प्रति,

महाप्रबंधक,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,

........................., म.प्र.।

विषयः- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014" अंतर्गत सुविधा/सहायता उपलब्ध कराने हेतु।

मैं/हम जिला ....(मध्यप्रदेश) में इकाई स्थापित/अपेरल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करने का आशय रखते है। "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014" अंतर्गत प्रोत्साहन उपलब्ध कराने हेतु इकाई/अपेरल प्रशिक्षण संस्थान का विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

01. इकाई/एजेन्सी/संस्था का नाम :

02. इकाई/ अपेरल प्रशिक्षण संस्थान का स्थल :
    स्थान/नगर
    विकासखण्ड
    तहसील
    जिला

03. जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में एम.एस.एम.ई.डी. एक्ट 2006 के तहत मेमोरेण्डम पार्ट 2 जमा करने पर दी गई अभिस्वीकृति का क्रमांक व दिनांक :

04. इकाई का प्रकार (नवीन/विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन) :

05. इकाई के विद्युत संयोजन का भार, क्रमांक व दिनांक :

06. <u>औद्योगिक इकाई की स्थिति में</u>

(i) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :

(ii) वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक तक किये गए स्थायी पूंजी निवेश/यंत्र संयंत्र में पूंजी निवेश की राशि (लाख रूपए में) :

(iii) इकाई के उत्पादों के नाम व वार्षिक क्षमता :

क्र.	**उत्पाद का नाम**	**वार्षिक क्षमता**

(iv) इकाई में प्राप्त कुल रोजगार :

(v) विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन होने पर :

विवरण	**विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन के पूर्व**	**विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन अंतर्गत**	**योग (विस्तार/ डायवर्सिफिकेशन/ तकनीकी उन्नयन पश्चात)**
पूंजी निवेश (लाख रूपये में)			
रोजगार			
उत्पाद की वार्षिक क्षमता (i) ....(उत्पाद)....... (ii) ......(उत्पाद)....... (iii) ......(उत्पाद)....... (iv) ......(उत्पाद).......			

<u>अपेरल प्रशिक्षण संस्थान की स्थिति में</u>

(i) स्थापना का दिनांक (दस्तावेज संलग्न है) :

(ii) प्रशिक्षणार्थी क्षमता (वार्षिक) :

07. चाही गई सहायता का विवरण

(अ) पूंजी अनुदान (नियम-6)

(i) प्रथम विक्रय के देयक की दिनांक (छायाप्रति संलग्न) :

(ii) सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनुमति/ अनापत्ति प्रमाण पत्र/ पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि लागू हों) :

(iii) प्लांट एवं मशीनरी पर किये गये व्यय की चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित मदवार व्यय राशि (प्रमाण पत्र संलग्न) :

या

टफ्स (TUFS) अंतर्गत मान्य प्लांट एवं मशीनरी में किया गया निवेश (दस्तावेज मय सूची के संलग्न)

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	विवरण	राशि
1		
2		
3		
	योग	

(iv) वित्तीय संस्था का ऋण स्वीकृति एवं वितरण सम्बंधी पत्र।(यदि लागू हों) :

(ब) परियोजना अंतर्गत अधोसंरचना विकास हेतु किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति (नियम-8)

(i) विकसित की गई अ़धोसंरचना का संक्षिप्त विवरण :

(ii) उद्योग परिसर तक अधोसंरचना विकसित करने पर दिनांक 1 अक्टूबर, 2014 या उसके पश्चात एवं इकाई की वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक तक चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित व्यय राशि (प्रमाण पत्र संलग्न) :

(राशि लाख रूपये में)

सड़क निर्माण हेतु ....

विद्युतीकरण हेतु ....

जल अधोसंरचना हेतु............

(स) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति (नियम-9)

(i) स्थापित की गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों का संक्षिप्त विवरण (प्रदूषण नियंत्रण मण्डल/औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संचालनालय का प्रमाण पत्र संलग्न) :

(ii) अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों की स्थापना पर दिनांक 1 अक्टूबर, 2014 या उसके पश्चात किये गये व्यय की चार्टर्ड इंजीनियर/चार्टर्ड अकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित मदवार व्यय राशि (प्रमाण पत्र संलग्न) :

(राशि लाख रूपये में)

क्र.	विवरण	राशि
1		
2		
3		
	योग	

(द) प्रवेशकर मुक्ति सुविधा (नियम-10)

(i) वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त किया गया TIN व दिनांक (छायाप्रति संलग्न) :

(ii) प्रथम कच्चामाल क्रय दिनांक (संबंधित देयक की प्रति संलग्न) :

(iii) कच्चामाल/आनुषांगिक माल/पैकिंग मटेरियल के नाम एवं वार्षिक मात्रा :

क्र.	नाम	वार्षिक मात्रा

(vi) आवेदन दिनांक तक उत्पादन एवं विक्रय के वर्षवार आंकड़े :

वित्तीय वर्ष	उत्पादन	विक्रय

(इ) वैट एवं सी.एस.टी. प्रतिपूर्ति (नियम-11)

(i) क्या इकाई प्राथमिकता विकास खण्ड में स्थापित है ? यदि हां, तो विकास खण्ड का नाम (जिले सहित) :

(ii) वाणिज्यिक कर विभाग से प्राप्त किया गया TIN व दिनांक (छायाप्रति संलग्न) :

(iii) वित्तीय वर्ष ...... में राज्य शासन के पास जमा की गई शुद्ध कर राशि -(रूपये में) (दस्तावेज संलग्न) :

(iv) वित्तीय वर्ष ...... में इकाई के उत्पादित मुख्य उत्पाद, सह-उत्पाद (Bye-Product) एवं उत्पादन की प्रक्रिया से प्राप्त बर्ज्य पदार्थ-(Waste materials) की मात्रा एवं विक्रय की राशि (दस्तावेज संलग्न) :

(v) <u>टेक्सटाईल उद्योगों हेतु (विशेष टेक्सटाईल पैकेज)</u>

(1) TUFS अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी में पूंजी निवेश (लाख रूपये में) :

(2) वित्तीय वर्ष ...... में इकाई की गतिविधि का प्रकार (जो लागू हो) :

क/ कॉटन जीनिंग - जीनिंग कॉटन के

अन्तर्राज्यीय विक्रय करने पर चुकाई गई सीएसटी की राशि - (रूपये में)

ख/ स्पिनिंग मिल - कॉटन यार्न के अन्तर्राज्यीय विक्रय करने पर चुकाई गई अभिकलित सकल (computed gross) सीएसटी की राशि - (रूपये में)

ग/ वस्त्र विनिर्माण इकाई (वस्त्र कर मुक्त उत्पाद है) - विनिर्माण इकाई द्वारा कच्चा माल क्रय करने पर चुकाये गये वैट की राशि -(रूपये में)

घ/ रेडीमेड गारमेंट/ अपेरल इकाई - रेडीमेड गारमेंट/ अपेरल विक्रय करने पर चुकाये गये वैट और सीएसटी की राशि -(रूपये में)

(उपरोक्त हेतु कर पुष्टि दस्तावेज संलग्न)

(vi) <u>अन्य उद्योगों हेतु</u>

जमा किए गए मूल्य संवर्धित कर और केंद्रीय विक्रय कर की राशि (रूपये में) (जिसमें कच्चामाल की खरीद पर मूल्य संवर्धित कर की राशि शामिल नहीं है, पर इनपुट टैक्स रिबेट :

समायोजन पश्चात)
(उपरोक्त हेतु कर पुष्टि दस्तावेज संलग्न)

(फ) विद्युत शुल्क में छूट (नियम-12)

(i) 'हाई टेंशन' (एचटी) कनेक्शन संयोजन का दिनांक व केवी कनेक्शन का प्रकार (33/132/220) (दस्तावेज संलग्न हैं) :

(ii) उपभोक्ता क्रमांक :

(ज) मण्डी शुल्क में छूट (नियम-13)

मण्डी समिति से प्राप्त प्रसंस्करण एवं क्रय-विक्रय के वैध लायसेंस का क्रमांक एवं दिनांक (मण्डी समिति से सत्यापित दस्तावेज संलग्न) :

(च) अपेरल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु सहायता (नियम-14)

(i) म. प्र. शासन से मान्यता का दिनांक (दस्तावेज संलग्न)

(ii) स्थायी पूंजी निवेश के संबंध में चार्टर्ड एकाउण्टेंट/चार्टर्ड इंजीनियर का प्रमाणपत्र (मदवार व्यय सत्यापन सहित)

(iii) संस्थान द्वारा आवेदन दिनांक के पूर्व के छः माहों में दिए गए प्रशिक्षण का संक्षिप्त विवरण
(संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न)

कृपया "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014" अंतर्गत सुविधा/सहायता स्वीकृत करने का कष्ट करें।

संलग्न :-

दिनांक :-

स्थान :-

आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति

हस्ताक्षर

नाम..

पद..

(सील)

<u>**नोट**</u> - **जिस सुविधा/सहायता के लिये आवेदन नहीं किया जाना हो, उसमें 'लागू नहीं' अंकित किया जावे।**

"मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014" अंतर्गत दिए जाने वाला शपथ पत्र

(निर्धारित शुल्क के स्टॉम्प पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित)

मैं/हम एतद् द्वारा यह शपथपूर्वक कथन करता हूं /करते हैं कि :-

1. मेरे/हमारे द्वारा जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र .... में "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014" अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन दिनांक .... में दी गई जानकारी सत्य है ।

2. मैं/हम राज्य शासन अथवा राज्य शासन के किसी उपक्रम की घोषित चूककर्ता/अशोधी नहीं है ।

3. विकसित की गई अधोसंरचना आवेदन में उल्लेखित इकाई हेतु विकसित की गई है तथा अच्छी गुणवत्ता की है। (यदि लागू हो तो)

   या

   स्थापित की गई अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली/प्रणालियॉ आवेदन में उल्लेखित इकाई हेतु विकसित की गई है तथा मानकों के अनुरूप है। (यदि लागू हो तो)

4. मैं/हम यह वचन देता/देते हूं/हैं कि यदि उपरोक्त उल्लेखित अधिसूचना/नियम में उल्लेखित किसी भी शर्त/प्रावधान का मेरे द्वारा उल्लंघन किया जाता है, तो विभाग को नियमानुसार सुविधा को निरस्त करने/वापस लेने का पूर्ण अधिकार होगा एवं मैं/हम 12 प्रतिशत ब्याज दर से सुविधा/सहायता राशि वापस करने के लिये उत्तरदायी रहेंगे।

5. मैं/हम इकाई को सहायता अवधि में तथा इसके पश्चात कम से कम 3 वर्षो तक उत्पादनरत रखेंगे।

6. इकाई के नियमानुसार कार्यरत नहीं रहने की स्थिति में सुविधा/सहायता राशि वापसी के लिये प्रमोटर उत्तरदायी रहेंगे।

स्थान :-

दिनांक :-

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

नाम :- ....

(सील)

परिशिष्ट - 4

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

....

क्र.जिव्याउके/डीएलएसी/ **............, दिनांक ....**

प्रति,

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता,

मेसर्स ....,

....,

....,

विषय:- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014" अंतर्गत सुविधा/सहायता की स्वीकृति बाबत।

संदर्भ :- "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014" अंतर्गत आपका आवेदन दिनांक ....

विषयान्तर्गत संदर्भित आवेदन पर जिला स्तरीय सहायता समिति की बैठक दिनांक .... में विचार किया जाकर, निम्नानुसार रियायते/सुविधाए शर्तो के अध्याधीन स्वीकृति की जाती है :-

अपेरल प्रशिक्षण संस्थान हेतु

1/ एजेन्सी/संस्था को अपेरल प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना हेतु राशि रूपये .... लाख का पूंजी अनुदान दिया जावे।

इकाई हेतु

1/ **पूंजी अनुदान** :-

इकाई को राशि रूपये .... लाख का पूंजी अनुदान दिया जावे।

2/ **ब्याज अनुदान** :-

इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक ....से 5 वर्ष के लिये 2 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान की सुविधा दी जावे, जो रूपये 5.00 करोड़ से अधिक नहीं होगी।

या

इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक ....से 7 वर्ष के लिये 5 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान की सुविधा दी जावे, जो रूपये 3/4/5 लाख से अधिक नहीं होगी।

3/ **वैट और सीएसटी प्रतिपूर्ति** :-

इकाई को संयंत्र एवं मशीनरी में मान्य कुल पूंजी निवेश रूपये .... की सीमा तक ......वर्ष के लिये कुल मूल्य संवर्धित कर और केन्द्रीय विक्रय कर (जिसमें कच्चेमाल की खरीद पर मूल्य संवंर्धित कर की राशि शामिल नहीं है) की जमा राशि पर इनपुट टेक्स रिवेट समायोजित करने के पश्चात 50 प्रतिशत की दर से प्रतिपूर्ति की जावे।

या

टफ (TUFS) अंतर्गत अनुमोदित प्लांट एवं मशीनरी पर किये गये निवेश की सीमा तक वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से अधिकतम 8 वर्ष के लिये सहायता, जो म. प्र. शासन के पास जमा की गई शुद्ध कर राशि से अधिक नहीं होगी, दी जावे, जो इकाई के प्रकार अनुसार निम्नानुसार होगी :-

कॉटन जीनिंग - जीनिंग कॉटन को अन्तर्राज्यीय विक्रय करने पर चुकाये गये सीएसटी के समतुल्य।

या/एवं

स्पिनिंग मिल - कॉटन यार्न को अन्तर्राज्यीय विक्रय करने पर चुकाये गये अभिकलित सकल सीएसटी के समतुल्य।

या/एवं

वस्त्र विनिर्माण इकाई (वस्त्र कर मुक्त उत्पाद है) - विनिर्माण इकाई द्वारा कच्चा माल क्रय करने पर चुकाये गये वैट के समतुल्य।

या/एवं

रेडीमेड गारमेंट/अपेरल इकाई - रेडीमेड गारमेंट/अपेरल विक्रय करने पर चुकाये गये वैट और सीएसटी के समतुल्य।

4/ **प्रवेश कर मुक्ति** :-

इकाई को प्रथम कच्चामाल क्रय दिनांक .... से 5 वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक.....................से ....तक के लिये, प्रवेश कर मुक्ति सुविधा दी जावे।

5/ **विद्युत शुल्क से छूट** :-

इकाई को .... के.व्ही. कनेक्शन दिनांक .... से ....वर्ष के लिये अर्थात् दिनांक.....................से ....तक के लिये, ऊर्जा विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 3-23-2013-तेरह, दिनांक 04 मार्च, 2014 की शर्तों के अध्यधीन दी जावे।

6/ **मण्डी शुल्क में छूट** :-

राशि रू. .... या वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक .... से पांच वर्ष की अवधि में जमा मण्डी शुल्क (इनमें से जो भी कम हो) में छूट दी जाए।

जिला स्तरीय सहायता समिति द्वारा अनुमोदित

सचिव
जिला स्तरीय सहायता समिति
मध्यप्रदेश

ब्याज अनुदान प्राप्त करने के संबंध में त्रैमासिक पत्रक

(म.प्र. वित्त निगम/राष्ट्रीयकृत बैंकों/अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरित टर्मलोन पर ब्याज अनुदान, नियम - 7)

शाखा का नाम...

क्र.	वित्तीय सहायता प्राप्त इकाई का नाम	टर्मलोन स्वीकृति की राशि	त्रैमास के अंत तक टर्मलोन का वितरण	इकाई का उत्पादन दिनांक	त्रैमास के प्रारंभ में शेष टर्मलोन धन राशि	टर्मलोन पर ब्याज की दर एवं राशि	अनुदान अर्हता की दर (Rate)	इकाई को प्रदत्त अनुदान राशि		रिमार्क
								पिछले त्रैमास के अंत तक	चालू त्रैमास अंतर्गत	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

1. इकाई द्वारा किश्तों का नियमित भुगतान किया जा रहा है।

2. इकाई द्वारा ऋण स्वीकृति की शर्तों के अनुरूप किश्तों का भुगतान किया जा रहा है व उक्त में किसी भी प्रकार का दण्ड ब्याज शामिल नहीं है।

हस्ताक्षर

प्रबंधक

..........................शाखा

म.प्र. वित्त निगम/राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था

Quarterly Statement for Claiming Interest Subsidy Sanctioned by M.P. State Government as Special Package for Textile Industry
(Interest Subsidy on the Term Loan Disbursed by M.P. State Financial Corporation/Nationalized Bank/ Other Financial Institutions)
(Under Rule - 7)

Sl. No.	Name of the unit claiming financial Assistance	Amount of term loan sanctioned		Amount of Term Loan disbursed till the Quarter ending		Date of Production of unit	Opening Balance of Term Loan of the start of quarter (as on ....)		Rate of interest on Term Loan and interest amount during quarter			Interest Subsidy Rate	Amount of interest reimbursement required		Remarks
		Total	Eligible under TUFS on plant and machinery	Total	Eligible under TUFS on plant and machinery		Total	Eligible under TUFS on plant and machinery	Rate of interest on Term loan	Interest amount during quarter on total loan	Interest amount during quarter on units eligible loan		Till the end of last quarter	For current quarter	
1	2	3(a)	3(b)	4(a)	4(b)	5	6(a)	6(b)	7(a)	7(b)	7(c)	8	9	10	11

1. The company/unit is regular in servicing its Repayment & Interest obligations, as and when due.
2. The company/unit is timely servicing its repayments as per sanction terms and above does not include any kind of penal Interest.
3. The company/unit is regularly repaying Principle & Interest for all the Term Loans (under TUFS) availed from our Financial institution/bank
4. Interest Subsidy is being claimed for Plant & Machinery eligible under TUFS & does not include any other amount

Seal and Signature of
Financial institution/bank

परिशिष्ट - 7

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र

....

क्र.जिव्याउके/डीएलएसी/ **............, दिनांक ....**

//स्वीकृति सह वितरण आदेश//

जिला स्तरीय सहायता समिति की बैठक में दिनांक .... में लिए गए निर्णय अनुसार निम्नानुसार ब्याज अनुदान की वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है :-

1. इकाई का नाम व पता :

2. नवीन इकाई है अथवा विद्यमान इकाई :
3. यदि विद्यमान इकाई है, तो प्रकार :
   (आधुनिकीकरण/शवलीकरण/विस्तार)
4. उत्पादन प्रारंभ करने का दिनांक :
5. पात्रता अवधि :
   पात्रता की देय अवधि (कब से कब तक)
6. देय ब्याज अनुदान की दर :
7. क्लेम की अवधि (कब से कब तक) : दिनांक ....से ....तक
8. टर्मलोन : रू. .... लाख
   या
   टेक्सटाईल अपग्रेडेशन फण्ड (TUF) योजनांतर्गत पात्र टर्मलोन
9. कुल रोजगार :

10. वित्तीय संस्था/बैंक का नाम एवं पूर्ण पता तथा स्वीकृत ब्याज अनुदान राशि (संस्थावार) :

(i)

(ii)

(iii)

(II) प्रदेश में नवीन/विस्तार/शवलीकरण अंतर्गत टेक्सटाईल परियोजनाओं को "मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना 2014" अंतर्गत उल्लेखित नियम एवं शर्तें इकाई को बंधनकारी होंगे।

(III) ब्याज अनुदान की राशि का वितरण, पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं होने अथवा अन्य किसी कारणवश, किश्तों में किये जाने की स्थिति में, इकाई को कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(IV) प्रकरण में त्रुटिपूर्ण तथ्यों/जानकारी के आधार पर अनुदान प्राप्त करने की स्थिति में इकाई को भुगतान की गई अनुदान राशि 12 प्रतिशत ब्याज दर के साथ वापस करनी होगी। ऐसा न करने पर राशि की वसूली भू-राजस्व की बकाया की तरह की जायेगी।

महाप्रबंधक,
जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,
.........................., म.प्र.

पृ. क्र.जिव्याउके/डीएलएसी/ ...., दिनांक ....

<u>प्रतिलिपि</u> :-

1/ महालेखाकार, मध्यप्रदेश, जिला ग्वालियर।

2/ कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जिला ....।

3/ आहरण एवं संवितरण अधिकारी, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, ... को प्रेषित कर लेख है कि स्वीकृत राशि रू. .... का भुगतान मेसर्स .... के पक्ष में निम्नानुसार करें :-

अनु क्रमांक	बैंक शाखा का नाम व पता	ब्याज अनुदान की राशि	टर्मलोन खाता क्रमांक	आईएफएससी कोड
1				
2				

4/ मेसर्स .... की ओर सूचनार्थ।

महाप्रबंधक,

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,

.........................., म.प्र.

DISTRICT TRADE & INDUSTRIES CENTRE

....

No.- **............., Dated ....**

Exemption from Entry tax under section 10 of *Madhya Pradesh Sthania Kshetra Me Maal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976*

Certified that the dealer **..** holding registration No. (TIN) **.....................................** dated **.........................** under the Madhya Pradesh VAT Act, 2002 issued by the Commercial Tax officer **...................** circle is a manufacture in respect of the industrial unit in the name of **..**having his place of business in local area**..**is eligible to avail of the facility of exemption from the payment of entry tax for a period of .five years as per the provisions of Industrial Promotion Policy, 2014. District Level Assistance Committee constituted under the Policy , in exercise of its power of Government under section 10 of *Madhya Pradesh Sthania Kshetra Me Maal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976* (No. 52 of 1976) hereby grants an exemption to the dealer for the period of five years commencing from .... and ending on ....

(2) The dealer has established a new industrial unit/an industrial unit undertaken/expansion/diversification/technical up-gradation in his existing industrial unit and is eligible for availing of the aforesaid facility of exemption in respect of the following raw material and incidental goods consumed or used in manufacture of other goods and packing material used in the packing of the manufactured goods and the raw materials incidental goods and packing materials are specified in the registration certificate under the Madhya Pradesh VAT Act, 2002

Description	Name of goods	Quantity
(i) Raw material		
(ii) Incidental goods		
(iii) Packing material		

(3) The dealer has effected the first purchase of any of the aforesaid raw materials on **..................................**

(4) The dealer has commenced production in the new industrial unit/under expansion/diversification/technical up-gradation in existing industrial unit on **........................**

(5) This certificate is valid for the period from **.......................** to **.........................** (Both days inclusive)

Place : Bhopal

Date : ....

Secretary
District Level Assistance Committee
M.P.

Endt. No./ **Bhopal, Dated ....**

Copy forwarded to :-

1. Commissioner Commercial Taxes, MP Indore **..**.
2. Commercial Tax Officer, Circle **..**.
3. Manager, District Trade & Industries Centre**, ...**
4. M/s **..**

Secretary
District Level Assistance Committee
M.P.

DISTRICT TRADE & INDUSTRIES CENTRE

....

No.- **............, Dated ....**

Certificate of eligibility for exemption of Mandi Fee

The District Level Assistance Committee constituted as per clause 4.3.4 of Industrial Promotion Policy 2014, in exercise of its power under clause 5.5 of the *Madhya Pradesh MSME Protsahan Yojna, 2014* hereby grants exemption to **..** , having Mandi Committee/s valid license no. **................**, Dated **.................** , located at **..** from payment of Mandi Fee as levied under The Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 for a period of five Years commencing from **.............** and ending on **..................** or Rs. **.........................,** whichever is lower, subject to the following conditions :-.

(i) The exemption shall be made available to those units which purchases agriculture produces of this state.

(ii) The processor maintains a detailed account of purchases and processing of Agricultural Produce.

(iii) The exemption will not be available to ineligible industries.

Place : **...................**

Date : **....................**

Secretary
District Level Assistance Committee
M.P.

Endt. No./ **Bhopal, Dated ....**

<u>Copy forwarded to</u> :-

1. Principal Secretary, Govt. of M.P., Farmer Welfare & Agriculture Development Deptt. Mantralaya Bhopal.
2. Managing Director, M. P. State Agriculture Marketing Board, Bhopal.
3. Manager, Krishi Upaj Mandi **......................**
4. Manager, District Trade & Industries Centre**, ...**
5. M/s **..**

Secretary
District Level Assistance Committee
M.P.